प्रेषक,

डा0 अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राज्यपाल सचिवालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (गोपन) अनुभाग-7 लखनऊः दिनॉक

विषय-राज्यपाल सचिवालय के लिए स्वीकृत स्थायी अग्रिम की वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-2259/जी0एस0, दिनॉक 16 मई, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित पत्र में वर्णित परिस्थितियों में मा0 राज्यपाल महोदया शासनादेश संख्या-20रा0/23-7/14/2013-सी0एक्स0-4, दिनॉक 10 मई, 2023 को अवक्रमित करते हुए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा 67 के अन्तर्गत अधीनस्त व्यवस्थाओं एवं निहित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय के लिए वर्तमान में स्वीकृत स्थायी अग्रिम की धनराशि रूपये-2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) से बढ़ाकर रूपये-3,00,000/-(रूपये तीन लाख मात्र) किये जाने एवं इस बढ़ायी गयी अतिरिक्त धनराशि रूपये-1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) लेखाशीर्षक "8672-स्थायी रोकड़ अग्रदाय 101-सिविल 01-स्थायी पेशियां" से आहरित करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(**क**) मंजूरीदाता प्राधिकारी को यह मस्तिष्क में रखना चाहिये कि अग्रिम उससे अधिक नहीं होना चाहिये जितना आवश्यक है।

(**ख**) अग्रिम पूववर्ती बारह मास के लिए कार्यालय के कार्यालय व्यय शीर्ष के अधीन औसत मासिक आकस्मिक व्यय पर आधारित होना चाहिए। नये कार्यालय के मामले में अग्रिम की धनराशि छः मास के बाद पुनर्विलोकन के अधीन संतुलित आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(**ग**) सामान्यतया यह परिकल्पना किया जाना चाहिये कि अग्रिम एक मास में कम से कम दो बार प्रतिपूर्ति किया जायेगा तथा इस प्रकार स्वीकृत धनराशि औसत मासिक समाश्रित व्यय की धनराशि के आधे से अधिक नहीं होना चाहिये।

(**घ**) व्यय के मदों के वर्गीकृत विवरण के साथ भुनाये गये समाश्रित विपत्रों की धनराशि को दर्शित करते हुए पूर्ववर्ती बारह महीनों के लिए व्यय के कथन के साथ स्वीकृतियों की प्रतिलिपियॉ महालेखाकार को दी जानी चाहिये।

3. यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की अशासकीय संख्या-एफ.ए.-1-06/दस-2024, दिनॉक 15.07.2024 की सहमति से निर्गत किया जाता है।

भवदीय,

(**डा0 अनिल कुमार सिंह**)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- कोषाधिकारी, राजभवन कोषागार, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त**)
उप सचिव।